न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–135/2014–15

श्री पूर्णानन्द

बनाम

श्री सन्तोष कुमार आदि

उपस्थितः श्री विजय कुमार ढौंडियाल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री दिनेश प्रकाश त्यागी एवं श्री अकरम खान

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री आर0के0 रोहिला।

बावत

मौजा ईस्ट होप टाउन, परगना पछवादून,
तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा वाद संख्या–15 वर्ष 2008–09 अन्तर्गत धारा–176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम संतोष कुमार बनाम पूर्णानन्द आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 15–04–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या–1 श्री संतोष एवं श्रीमती रंगनाथी देवी पत्नी स्व0 रूद्रीदत्त ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा–176/178 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रस्तुत किया। इस वाद में दिनांक 03–07–20.14 को प्रारम्भि डिकी के आदेश पारित हुए और क्षेत्रीय लेखपालने दिनांक 13–11–2014 को न्यायालय में कुर्रे दाखिल किए जिनपर प्रतिवादी/निगरानीकर्ता श्री पूर्णानन्द ने आपत्ति दाखिल की। विद्वान सहायक कलेक्टर ने उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 15–04–2015 से लेखपाल द्वारा दाखिल कुर्रे स्वीकार किए गए एवं अन्तिम डिकी तैयार किए जाने के आदेश पारित किए गए। सहायक कलेक्टर के निर्णयादेश दिनांक 15–04–2015 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली तथा प्रस्तुत विधिक व्यवस्थाओं का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदातागण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं। वादी ने विभाजन किये जाने वाली भूमि पर निर्मित भवन होने के तथ्य को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन वाद योजित किया। वाद में निगरानीकर्ता ने अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया जिसके चरण संख्या–17 व 18 में निगरानीकर्ता ने स्वअर्जित धन से खसरा नम्बर–633/1 के 02 बीघा क्षेत्रफल में भवन निर्मित कर उसमें आवासित होने का कथन किया जिसका कोई प्रतिवाद

प्रतिवादी संख्या–02 से 07 द्वारा नहीं किया गया और केवल वादी/प्रतिउत्तरदाता संख्या–01 द्वारा पश्चातवर्ती सुविचार के तहत प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक 17–05–2011 में वास्तविकता के विपरीत कथन किया। अवर न्यायालय द्वारा निस्तारित वाद में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–07–2014 में वादी/प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 का 1/3, प्रतिवादी संख्या–1/निगरानीकर्ता का 1/3 तथा प्रतिवादी/प्रतिउत्तरदाता संख्या–02 से 07 का संयुक्त रूप से 1/3 भाग घोषित किया गया जो सभी पक्षों को स्वीकार है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2014 के विपरीत हल्का लेखपाल द्वारा उभयपक्षों में 1/3–1/3 भाग के पृथक–पृथक केवल 03 कुर्रे बनाये जाने के बजाय नियम विरूद्व 04 कुर्रे बनाये गये हैं जिसके विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति पत्र दिनांक 27–01–2015 को प्रस्तुत किया गया। अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से निर्मित कुर्रों पर आपत्ति दिनांक 27–01–2015 को प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी हल्का लेखपाल से जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सारवान अनियमितता व अवैधानिकता है। विवादित भूमि पर निर्मित आबादी को निगरानीकर्ता द्वारा स्वअर्जित धन से निर्मित किया गया है, का लेखपाल द्वारा संयुक्त कुर्रा संख्या–04 बनाया जाना तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को कुर्रे के सम्बन्ध में दी गई आपत्ति के सापेक्ष लेखपाल से जिरह का अवसर न दिया जाना त्रुटिपूर्ण है। प्रतिउत्तरदाता संख्या–01 द्वारा भी अपने वादपत्र में खसरा नम्बर–633/1 में निर्मित आवासीय भवन का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे सिद्व है कि उसके द्वारा उक्त निर्माण नहीं किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 15–04–2015, प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–07–2014 के विपरीत व विधि की गलत विवेचना पर आधारित है जिस कारण पारित आदेश दिनांक 15–04–2015 निरस्त होने एवं निगरानी स्वीकार होने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने आर0जे0 1996 पृष्ठ–53 राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश एवं आर0डी0 1999(90) पृष्ठ–708 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गईं।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त ही प्रारम्भि डिक्री के आदेश पारित किए गए हैं और हल्का लेखपाल द्वारा मौके पर जाकर सभी पक्षों की उपस्थिति में कुर्रे तैयार किये गये हैं। कुर्रों पर निगरानीकर्ता एवं अन्य सहखातेदारों के हस्ताक्षर किये गये हैं। ग्राम प्रधान को उक्त वाद में पक्षकार बनाया गया है। वाद में दाखिल किये गये कुर्रों पर सभी पक्षों द्वारा अपनी सहमति दाखिल की गई है। आबादी का जो कुर्रा पृथक से बनाया गया है उसको निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है और इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है यह सभी पक्षों को स्वीकार है जिस पर कोई विवाद नहीं है। आबादी के बिन्दु को निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने पूर्व में भी एक वाद अन्तर्गत धारा–176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम योजित किया था जिसमें उसके द्वारा अपने दावे में यह कहीं नहीं लिखा गया कि वादग्रस्त भूमि पर बनी हुई आबादी उसके द्वारा निर्मित है। निगरानीकर्ता ने जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–176 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्व सीधे निगरानी राजस्व परिषद में योजित की है जबकि उन्हें प्रथम अपील आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयादेश में कोई त्रुटि नहीं है। निगरानी पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता ने 2005(98) आर0डी0–242 मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 2006(101)

आर0डी0–696 मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय एवं 2010(109) आर0डी0–181 मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गईं।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिउत्तरदाता श्री सन्तोष ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत सहखातेदारों के मध्य खाते के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। वाद में पक्षों द्वारा अपने–अपने जबावदावे प्रस्तुत किये गये। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर ने वाद में दिनांक 03–07–2014 को प्रारम्भिक डिक्री/आदेश पारित कर पक्षकारों के हिस्से निर्धारित करते हुए कुर्रे दाखिल किए जाने के आदेश पारित किए गए। वाद में दिनांक 11–09–2014 को लेखपाल द्वारा कुर्रे दाखिल किए गए जिसमें लेखपाल द्वारा वादग्रस्त भूमि का कुर्रा नम्बर–4 सभी पक्षकारों का बनाया गया। इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट हुआ कि वादग्रस्त भूमि पर बने हुए आबादी के समबन्ध में उभयपक्षों के मध्य एक वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जो सभी पक्षों को स्वीकार है। आबादी के बिन्दु को निर्णीत करने का क्षेत्राधिकारी राजस्व न्यायालय को नहीं है और आबादी का बिन्दु निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय के अन्तर्गत है। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर ने अपने निर्णयादेश में भी यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारम्भिक डिक्री के आदेश उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त ही पारित किये गये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री पारित की गई है उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत विधिक व्यवस्था आर0डी0 2005(98) पृष्ठ–442 शोभा सिंह बनाम उदयभान सिंह व अन्य में भी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि– " क्षेत्राधिकार–अनुतोष प्रदान करने का–वाद मकान एवं मवेशीखाना के कब्जे के सम्बन्ध में निष्कासन के पश्चात्– जो कि कृषकीय भूमि पर स्थित है–कृषकीय भूमि के अध्यासन के सम्बन्ध में कोई अनुतोष नहीं मांगा गया–उस भूमि की प्रकृति जिस पर भवन की संरचना खड़ी सिविल न्यायालय को अनुतोष प्रदान करने की सक्षमता के निर्धारण के लिए आवश्यक नहीं है–वाद सिविल न्यायालय में पोषणीय है।"

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत एक अन्य विधिक व्यवस्था आर0डी0 2006(101) पृष्ठ–696 चन्द्र शेखर जोशी बनाम चन्द्र बल्लभ पन्त व अन्य में मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि– " क्षेत्राधिकार–सिविल न्यायालय का–नगरपालिका सीमाओं के भीतर वाद–सम्पत्ति अवस्थित–कृषि भूमि नहीं–प्रश्नगत गृह का नगरपालिका अभिलेखों में वर्ष 1958–59 के लिये कर निर्धारण किया गया–सिविल न्यायालय के वाद–सम्पत्ति के सम्बन्ध में कब्जे के अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी प्राप्त था।"

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत एक अन्य विधिक व्यवस्था आर0डी0 2010(109) पृष्ठ–181 डा0 प्यारे लाल मिश्रा बनाम बड़े महादेवी जी महाराज में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि –" अधिकारिता–आबादी भूमि पर–सिविल न्यायालय को वाद स्वीकार करने के लिये पूर्ण प्राधिकार और अधिकारिता है–अपेक्षित अनुतोष प्रदान करने के लिये।"

अतः उपरोक्त विवेचना एवं विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णयदेश/डिक्री पारित की गई है उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

बलहीन होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

22/1/16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 22-1-16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

22/1/16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।